अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आवेदन

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी की समकालिक जांच, गुणवत्ता जांच, मध्यावर्ती तथा अंतिम मूल्यांकन के लिए कन्सलटेंसी सेवाओं का भाड़ा क्रयन (हायरिंग) हेतु विज्ञापन संख्या–01

1. उत्तराखंड सरकार में 2021–22 से 2023–24 के 2 वित्तीय वर्षों हेतु, जहां 2021–22 समावेशी वर्ष हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा हस्ताक्षरित 2 अलग–2 एमओयू के प्रति 422 नई लघु सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से केन्द्रीय वित्तीय सहायता अनुदान प्राप्त किया है। उत्तराखंड लघु सिंचाई विभाग, देहरादून, भारत इन योजनाओं के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है तथा यह इन योजनाओं के संनिरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण मध्यावर्ती तथा अंतिम मूल्यांकन के लिए अनुबंध के तहत भुगतान करने के लिए इस अनुदान की आय के एक भाग का प्रयोग करने का इरादा रखता है।
2. इन सेवाओं में योजनाओं व लाभार्थियों का शुरूआती आधारभूत सर्वेक्षण, गांव की नक्शासाजी व जनसांख्यिकी तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति, आधारभूत सर्वेक्षण हेतु सैंपल फ्रेम का विकास, प्रश्नावली की जांचः गणनकारों तथा क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की भरती व प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्य की रसद, प्राथमिक सर्वेक्षण करना, सर्वेक्षण कार्यान्वयन व प्रश्नावली प्रलेखन, नियंत्रण स्थलों पर सामान्य गुणवत्ता नियंत्रण, नियंत्रण योजनाओं का साक्ष्य आधारित संक्षिप्त अध्ययन करना, चुनिंदा योजनाओं की साविधिक लाभ जांच, संपूर्ण योजनाओं की समकालिक जांच, मध्यावधि तथा अंतिम मूल्यांकन, डाटा एंट्री कार्यक्रमों का विकास, कार्यक्रम डाटाबेस का पर्यवेक्षण तथा डाटा क्लीनिंग व एंट्री, विश्लेषण व रिपोर्ट जनरेशन तथा अंतिम दस्तावेजी कार्य शामिल हैं। परामर्शदाता से कार्यान्वयन व्यवस्था प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, सही पहचान, तकनीकी व वित्तीय पहलुओं, परिणाम आधारित गुणवत्ता योग्यता पहलू, भविष्यगत योजनाओं के लिए अभ्यास सामाग्री, दस्तावेजी संबंधी कार्य पर अधिक ध्यान देने तथा आऊटपुट की बजाय बेहतर परिणाम पर ध्यान देने की उम्मीद की जाती है।
   यह मूल्यांकन तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई क्रियाविधि/कोर्स की वैधता का भी स्पष्टीकरण करेगा। कनसलटेंसी की अवधि दो (2) वर्ष की होगी।
3. अब लघु सिंचाई विभाग इन सेवाओं को उपलब्ध करवाने में अपनी अभिरूचि उल्लेख करने वाले योग्य परामर्शदाताओं को आमंत्रित करता है। इच्छुक व योग्य फर्मों की अभिरूचि की अभिव्यक्ति जमा करवाने, यह प्रदर्शित करने की जानकारी उपलब्ध करवाने कि वे इन सेवाओं को पूरा करने के लिए योग्यता प्राप्त है (विवरणिका, समान कार्यों का विवरण, समान स्थितियों विशेषतः उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव, कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता इत्यादि) पार्टनरों तथा सीनियर स्टाफ तथा उनकी योग्यता/अनुभव, आधारभूत आंकड़ों के एकत्रण के पूर्ण/चालू परियोजना अनुभव, भारत सरकार सहायता प्राप्त प्रेजेक्टों के तहत समाज आधारित लघु सिंचाई /सिंचाई/परियोजनाओं ग्रामीण विकास परियोजनाओं मुख्यतः समान क्षेत्रों में प्रभाव मूल्यांकन/जांच का ब्यौरा आदि प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। कृपया पूर्व अनुभवों, योग्यता इत्यादि के समर्थन में प्रमाणित दस्तावेजों को संलग्न करें। परामर्शदाता अपनी पात्रता बढ़ाने के लिए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार का जुड़ाव (संयुक्त तथा विविध जिम्मेवारियों या उप–परामर्शदाता के साथ संयुक्त उद्यम में भाग ले सकते हैं।
4. उत्तराखंड शासन द्वारा प्रख्यापित नियमों व दिशा–निर्देशों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 द्वारा परामर्शदाताओं का चयन व नियोजन 2017 (यथासंशोधित) में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप किया जायेगा।
5. इच्छुक परामर्शदाता नीचे दिये पते से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
6. विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन व संबंधित जानकारी सीलबंद लिफाफे 12.01.2023 तक अपराह्न 2:00 बजे तक जमा करवाई जाऐंगी, लिफाफे के ऊपर प्रधनमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी की समकालीन जांच गुणवत्ता जांच, मध्यावर्ती तथा अंतिम मूल्यांकन ईओआई'' अंकित हो। अधिक जानकारी हमारी वेबसाईट : https://minorirrigation.uk.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

स्टाफ अधिकारी,
कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

फोनः 0135-2662159
0135-2672006
ईमेलः cemiduk@gmail.com,
staffo-mirri-uk@nic.in
वेबसाईटः https://minorirrigation.uk.gov.in

सू. एवं लो.सं.वि., पत्रांकः दि.: